निर्णय वइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :- 100/2013

दायरा दिनांक:- 05/09/2013

निर्णय दिनांक:- 31-03-2022

उनवान

1. बहादुर सिंह पुत्र श्री गुरुदयाल सिंह
2. रणवीर सिंह पुत्र श्री गुरु दयाल सिंह
3. भंवर सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी गण हीकड तहसील बारां

बनाम

1. राजेंद्र कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति कोली निवासी हीकड
2. शंकर पुत्र प्रभु लाल जाति कोली निवासी हीकड़
3. जगन्नाथी पुत्री प्रभु लाल पत्नी राजेंद्र पुत्र धनराज जाति कोली मकान नंबर 8/113 कुन्हाड़ी कोटा
4. जानकीबाई पुत्री प्रभु लाल पत्नी मोती लाल पुत्र धन्नालाल जाती कोली निवासी मंदिर के पास जल वाड़ा तहसील किशनगंज
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आरटी एक्ट

निर्णय दिनांक;- 31-03-2022

अभिभाषक उपस्थित:- 1. श्री ओम भारद्वाज -प्रार्थी

2. श्री [illegible] सिंह -अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आरटी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी क्रम एक व दो सगे भाई हैं प्रार्थी क्रम 3 प्रार्थी क्रम एक का जेष्ठ पुत्र है वृद्धावस्था के कारण खेती-बाड़ी घर गृहस्थी एवं परिवार की सारी जिम्मेदारी को प्रार्थी क्रम तीन ही संपादित करता है इसलिए उसे पक्षकार प्रार्थी grmp3 बनाया गया है प्रार्थी क्रम एक के कब्जे का एवं खाते की आराजी खसरा नंबर 95 रखवा 2.84 हेक्टेयर बाकी माल ही कर तहसील बारां में स्थित है इसी आराजी से लगवा खसरा नंबर 96 प्रार्थी क्रम दो के खातेदारी की खसरा नंबर 97 उक्त भूमि के दक्षिणी और स्थित है प्रार्थी व प्रार्थी ग्राम ही कर के रहने वाले हैं जो विवादित भूमि के पूर्व में है पूर्व से एक सड़क पश्चिम और पाड़ा की ओर जा रही है जिसका खसरा नंबर 50 है खसरा नंबर 95 के उत्तरी और प्रार्थी गण के कब्जे का एवं खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 85 अवस्थित है जो पूर्व में देव लाल प्रभु लाल की खातेदारी में रही है खसरा नंबर 85 दोनों भाइयों के वहामी विभाजन में देव लाल के हिस्से में आई थी बाद मृत्यु देव लाल के निसंतान होने से दोनों भाइयों की संपूर्ण भूमि इंतकाल नंबर 422 से प्रार्थी गण की खातेदारी में दर्ज हुई है खसरा नंबर 85 के उत्तर में खसरा नंबर 86 गैर मुमकिन नाला है जिसके दक्षिणी किनारे से रास्ता चलकर खसरा नंबर 85 में 100 मीटर चलकर खसरा नंबर 95 पर पहुंचते हैं संलग्न परिशिष्ट के में इस रास्ते को एक्स वाई जेड बिंदुओं के रूप में 2 लाइनों से दर्शाया हुआ है परसिस्ट के इस प्रार्थना पत्र का एक भाग है इस विवादित एक्स वाई जेड रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी गण का अपनी भूमियों पर आने-जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है प्रार्थी गण खसरा नंबर 85 में होकर परंपरागत रास्ते से आने जाने में प्रार्थी गण को व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो प्रार्थी गण की भूमि पर रहने की स्थिति में है एक्स वाई जेड रास्ता ही प्रार्थी गण का अपनी भूमि पर आने जाने का एकमात्र परंपरागत रास्ता है जिसका उपयोग अज्ञात काल से 20 वर्षों से अधिक समय से प्रार्थी गण उपयोग करते रहे हैं जिसके बाबत प्रार्थी गण को पूर्ण सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी क्रम 1 व 2 ने अपनी सोयाबीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

की फसल में दवा स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर से जाने लगे तो मना किया कहा कि मेरे खेत में किसी भूभाग पर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा चाहे तुम्हारी जमीन पर रह जाए व धमकी दी कि मैं अपने खेत की उतरी मेढ़ पर तारों की बाड़ व पत्थरों का कोर्ट करके स्थाई रूप से बंद कर दूंगा विवादित रास्ता ही एकमात्र निकटतम रास्ता है केवल 3 मीटर की चौड़ाई में आवागमन हेतु आवश्यक है जिसकी कीमत 100× 3 =300 मीटर का पैसा नियम अनुसार प्रार्थी गण अप्रार्थी गण को अदा करने को तैयार हैं बाद आदेश अप्रार्थी क्रमां 5 से उक्त 3×100 मीटर भू भाग को राजस्व रिकार्ड में है अप्रार्थी क्रम 5 से दर्ज करवाने के प्रार्थी गण अधिकारी हैं प्रार्थना पत्र अंदर याद है प्रार्थना पत्र का बाद कारण दिनांक 14 अगस्त 2013 को परंपरागत रास्ते से निकलने से मना करने पर अंतिम बार पैदा हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करें प्रार्थी गणों को जरिए नोटिस तलब किया गया। है अप्रार्थी क्रम एक की ओर से जवाब पेश हुआ तथा राज्य सरकार तहसीलदार की ओर से भी जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम हीकड तहसील बारां संवत 2067 से 2070 खाता संख्या 89 नकल जमाबंदी ग्राम हीकड़ संवत 2067 से 2070 खाता संख्या 121 नकल जमाबंदी ग्राम हीकड संवत 2067 से 2070 खाता संख्या 67 नकल जमाबंदी ग्राम हीकड संवत 2067 से 2070 खाता संख्या 1 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हीकड पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी बांके ग्राम हीकड तहसील बारां मैं स्थित है। प्रार्थी के खाते की आराजी तक पहुंचने हेतु खसरा नंबर 96 वह 97 की भूमि में होकर पहु[illegible]ार्थी उक्त खसरा नंबर की भूमि मैं होकर अपने खेत पर जा रहे थे तब अप्रार्थी गण द्वा[illegible] खेत में से निकलने से मना किया अप्रार्थी द्वारा कहा गया की हमारे खाते की जमी[illegible] में होकर कोई रास्ता नहीं है। हम

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आपको हमारे खेत में हो कर नहीं निकलने देंगे आप अपना रास्ता कहीं दूसरी तरफ बनाएं प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की उड़ाई जुताई करने हेतु निवेदन किया परंतु अप्रार्थी गण द्वारा बिल्कुल मना कर दिया गया की आप हमारी भूमि में होकर रास्ता नहीं बनाएं। प्रार्थी अपने खेत में बोई गई सोयाबीन की फसल पर स्प्रे करने हेतु ट्रैक्टर ले जा रहे थे परंतु ट्रैक्टर नहीं निकलने दिया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 96 व 97 के खातेदार की भूमि में होकर रास्ता कायम किया जावे तथा नियमानुसार प्रार्थी गण पैसा अदा करने को तत्पर तैयार हैं।

बहस के दौरान वकील आप्रार्थी का कथन है कि खसरा नंबर 95 पर आने जाने के लिए खसरा नंबर 85 में होकर जब हम रास्ता कायम करना चाहते हैं जबकि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 95 पर आने का रास्ता ग्राम कोटडी के रास्ते से कस्टोडियन की आराजी में होकर है प्रार्थी अपनी आराजी में पूर्व में भी उसी रास्ते से आते थे तथा वर्तमान में भी उसी रास्ते से आ रहे हैं अप्रार्थी गण को नाजायज परेशान करने की गरज से नित्य एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिश फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक विपक्ष कारण सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया तहसीलदार बारां से विवादित भूमि पर जाने हेतु रास्ते बाबत रिपोर्ट ली गई तहसीलदार बारां द्वारा रिपोर्ट में बताया कि प्रकरण में बहादुर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह रणवीर सिंह पुत्र गुरुदयाल सिंह भंवर सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी सीकर तहसील बारा द्वारा धारा 251 ए के तहत खसरा नंबर 85 में से 100×32=300 मीटर रास्ता चाहा गया है राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 86 गिलौला दर्ज है वादी गण पटेढ़ा ही कर सड़क से खसरा नंबर 86 पर लगभग 420 मीटर पश्चिमी दिशा की ओर चलकर खसरा नंबर 85 के अंतिम छोर पर पहुंचता है वहां से उत्तर दक्षिण पर होकर लगभग 100×3 मीटर का रास्ता खातेदार राजेंद्र कुमार शंकरलाल पुत्र प्र[illegible]रा के खाते की भूमि से आता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

क्योंकि वादी गण खसरा नंबर 86 किस माला से रास्ता चाह रहा है जो कि अब्दुल रहमान प्रकरण से संबंध रखता है बताइए संभव प्रतीत नहीं होता है वादी गण के खाते पर अन्य स्थान से 16 बार कम दूरी का रास्ता खसरा नंबर 85 की मेन से 270 मीटर चलकर आता है जिसे नजरी नक्शे में लाइन से प्रदर्शित किया गया है परंतु वादी गण इस मार्ग से रास्ता लेने में असमर्थ है वादी गण गै0मु0 नाले के सहारे चलकर रास्ता चाहते हैं जो प्रार्थी को दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेका अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हीकड तहसील बारां के खसरा नंबर 85 कि मेड से 100×3= 300 मीटर खसरा नंबर 95 जो वादी के खातेदारी की है पर पहुंचने हेतु रास्ता कायम किया जाता है उक्त रास्ते हेतु प्रार्थी को वर्तमान डीएलसी दर का दोगुना राशि तहसील कार्यालय में जमा करावे। तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान खातेदार को किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किया जावे। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी बारां
दिव्यांशु शर्मा
आर ए एस
उपखंड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner